खबर संक्षेप

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 9वीं से कॉलेज तक के लिए विद्यार्थियों को करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

भोपाल। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं से महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्हें केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है और जिनकी निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है,उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार हक्र्नंबर प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए पृथक से पुनः वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से पूर्व करना अनिवार्य है। यह कार्य समस्त स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय और छात्रावास अधीक्षकों द्वारा कराया जाएगा एवं स्वयं विद्यार्थी भी इस कार्य को कर सकते हैं।

भोपाल में युवक ने किया सुसाइड

भोपाल। भोपाल के कजलीखेड़ा कोलार रोड पर सोमवार दोपहर एक युवक ने घरेलू विवाद के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय राहुल प्रजापति पुत्र गप्पू लाल प्रजापति के रूप में हुई है। घटना के वक्त राहुल की पत्नी रूपवती घर में ही मौजूद थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भिजवाया। परिवार वालों के अनुसार राहुल का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। कुछ देर बाद उसने घर के टीन शेड में पाइप से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। राहुल के छोटे भाई प्रीतम प्रजापति ने बताया कि करीब 3.30 बजे भाभी का कॉल आया कि भैया ने फांसी लगा ली है। वह पड़ोसी विशाल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, तो राहुल का शव फंदे से लटका मिला।

जनसुनवाई में छात्राओं को कलेक्टर ने वितरित की पाठ्य पुस्तकें

जनसुनवाई में 130 आवेदन प्राप्त हुए

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 130 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एडीएम श्री भूपेन्द्र गोयल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सिंह ने जसीका सोनगिरे एवं मीनाक्षी सोनगिरे को कक्षा - 09वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तकें प्रदान की।

कलेक्टर श्री सिंह ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

दस साल की सजा सुनते ही कोर्ट से भागा आरोपी

एक हजार न देने पर फरियादी को मारा था चाकू

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में हत्या की कोशिश के एक मामले में आरोपी आसिफ खान उर्फ टिंगू उर्फ अरमान को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। जैसे ही न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने फैसला सुनाया, टिंगू कोर्ट से भाग गया। उसके साथी राजा खान को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया गया। टिंगू के फरार होते ही कोर्ट में अफरातफरी मच गई।

कोर्ट के कर्मचारियों ने उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मिला तो एमपी नगर थाना में इसकी सूचना दी गई। न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ नया केस दर्ज करने का आदेश दिया। 23 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 4 बजे, फरियादी शाहरुख खान को भोपाल के कालीबाड़ी बरखेड़ा इलाके में टिंगू और उसके साथी राजा खान ने 1000 न देने पर चाकू और धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया था। शाहरुख को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल से सूचना मिलने पर गोविंदपुरा थाना पुलिस हमीदिया अस्पताल पहुंची और शाहरुख की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत दुर्घटना में मृतक के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता

शोकाकुल परिवार के प्रति कंपनी ने व्यक्त की संवेदनाएं

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर वृत्त के उत्तर संभाग अंतर्गत छः वर्षीय कुमारी आयशा के साथ घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण विद्युत दुर्घटना के लिए, मृतक बिटिया के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही कंपनी द्वारा शोकाकुल परिवार को 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की कार्यवाही भी संपादित की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आमजन और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क और सजग रहें साथ ही मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बारिश के दौरान विद्युत सुरक्षा और सावधानियों हेतु जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से संदेश प्रसारित करते रहें। कंपनी ने निर्देशित किया है कि भोपाल शहर वृत्त अंतर्गत उत्तर शहर संभाग सहित सभी अन्य संभागों में वितरण ट्रांसफार्मरों, बिजली लाइनों, खम्भों एवं अन्य उपकरणों के रखरखाव के दौरान इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि लाइनों में कट न हो और करंट लीकेज की संभावना न रहे। गौरतलब है कि भोपाल शहर में गत 30 जून 2025 समय लगभग दोपहर 2=13 बजे ÷निवासी गली नं. 1, उमर शॉदी हॉल के पास एल. टी. पोल में करंट फैलने से लगभग 6 वर्ष की आयशा नामक बच्ची की दुर्भाग्यपूर्ण घातक विद्युतीय दुर्घटना में जान चली गई। इस संबंध मेंघातक विद्युत दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त होते ही सहायक प्रबंधक, बस स्टेण्ड जोन, भोपाल द्वारा कंपनी की एफ.ओ.सी. टीम के साथ मौके पर पहुंचकर विद्युत दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं आस-पास उपलब्ध व्यक्तियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली गई। जांच में पाया कि पोल क्रमांक 61/09, निवासी- गली नं. 1, उमर शॉदी हॉल के पास एल. टी. पोल पर करंट आ गया था, जिससे 6 वर्ष की बच्ची कुमारी आयशा विद्युत सप्लाई के सम्पर्क में आ गयी, जिससे घातक विद्युत दुर्घटना घटित हुई है।

आयुक्त जनसम्पर्क ने संचालनालय में किया पौध-रोपण

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने मंगलवार को जनसम्पर्क संचालनालय परिसर में %एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने अशोक और गुलमोहर का पौधा लगाया। इस अवसर पर जनसम्पर्क के स्टाफ ने आयुक्त जनसम्पर्क को उनके जन्मदिवस के अवसर पर बधाई दी। इस दौरान अपर संचालक श्री जी.एस. वाधवा, अपर संचालक श्री संजय जैन एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बारिश के दौरान रखरखाव कार्य समय पर पूर्ण करें : श्री क्षितिज सिंघल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल शहर अंतर्गत विद्युत संबंधी रखरखाव कार्यों को लेकर प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को राजधानी भोपाल के साकेत नगर तथा बरखेड़ा पठानी क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता हितों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा रखरखाव कार्य को समय पर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र श्री अमृतपाल सिंह, महाप्रबंधक शहर श्री वीवीएस परिहार, मुख्य महाप्रबंधक श्री ए.के. जैन सहित अन्य अधिकरीगण उपस्थित थे।

प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने विद्युत हानि कम करने तथा बारिश के दौरान होने वाले विद्युत व्यवधान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए फ्यूज ऑफ कॉल (विद्युत अवरोध को दूर करना) समय पर अटेण्ड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाइल फोन को 24 घंटे चालू रखें। बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए बिजली कंपनी के सभी अधिकारी अपना मोबाइल 24 घंटे चालू रखें एवं उपभोक्ताओं के कॉल अटेण्ड करें।प्रबंध संचालक ने कॉल सेन्टर 1912, व्हाट्सएप चैटबोट तथा स्थानीय वाट्सएप रूप एवं अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्युत संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे बताते हुए उनकी शंकाओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए।

एमबीबीएस थर्ड ईयर छात्र से सीनियर छात्रों की मारपीट

भोपाल। भोपाल में एक एमबीबीएस छात्र के साथ सीनियर छात्रों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने निशातपुरा पुलिस थाने पहुंचकर स्न्ढ्रक्रदर्ज कराई है। थाना निशातपुरा में दी शिकायत में छात्र राहुल तिवारी (परिवर्तित नाम) ने बताया कि वह वर्तमान में पीपुल्स हॉस्पिटल के पास रहा है।

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/12628/ 2025

इश्तहार

आवेदक स्नेहलता श्रीवास्तव पत्नि सुधीश श्रीवास्तव निवासी म.न.56 प्रेम अपार्टमेंट ए-सेक्टर सर्वधर्म द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर 24/1 का अंश भाग प्लाट क्र. 56-A क्षेत्रफल 562.23 वर्गफिट का फौती के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-कोलार, भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0039/अपील/2025-26

//इश्तहार//

श्री आर. के. ललवानी आ. श्री के.सी. ललवानी नि. 4/4 विण्डसर हिल्स भोपाल

विरूद्ध

1. श्रीमति किरण अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल नि. ई-2 / 134, अरेरा कॉलोनी भोपाल। 2. श्री शोभित शर्मा आ. श्री सतीश नाथ शर्मा नि. ग्राम जाटखेडी तहसील कोलार भोपाल 3. रफत अली आ. शेर अली खान नि. 5/10 मोती अपार्टमेंट मोती मस्जिद के पास भोपाल 4. नीना अग्रवाल पत्नी श्री शुभम अग्रवाल नि. 144 प्लाजा बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल 5. श्रीमति मंजू नागर पत्नी श्री ओमप्रकाश नागर सहयोगी गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह आ. श्री अयोध्या सिंह नि. भोपाल

...प्रतिअपीलार्थीगण

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में ग्राम जाटखेडी तहसील कोलार का खसरा नम्बर 72, 73, 171/72/5/1 कुल भूमि 4.78 का अंश भाग 0.52 एकड़ अर्थात 0.2105 हेक्टेयर के संबंध में अपीलार्थी पक्ष द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य प्रकरण 0003/अ-3/2025-2026 (आर. के. ललवानी पिता श्री के सी ललवानी) में पारित आदेश दिनांक 08/06/2025 से दुखी एव व्यथित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र.भू.रा. संहिता 1969 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी पक्ष को जारी सूचना पत्र पता अपूर्ण होने से तामिल नहीं हुआ है। प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है।

अतः इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी/किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने से पेशी दिनांक 10/07/2025 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर जबाब / आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26/06/ 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील- कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.022802032015246-APP-25352445

इश्तहार

आवेदक प्रतिभा राकेश सिंह आ./पत्नी राकेश सिंह निवासी म.न. 5/160 दानिशकुंज द्वारा ग्राम बंजारी स्थित खसरा नंबर 19/1, 19/2, 19/3 व अन्य का अंश भाग क्षेत्रफल 1050 वर्गफिट अर्थात 195.16 व.मी. का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 30/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.022802032015001-APP-25395345

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दत्तपुरी विष्णुपुरी गोसावी व आरती पिपलिया आ./पत्नि नरेश पिपलिया द्वारा ग्राम सेमरीकलां स्थित खसरा क्रमांक/प्लाट नंबर 189/1/2 रकबा 15000 वर्गफुट का भूमि का नामान्तरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 01/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

तहसीलदार
तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 2403/ अ-6/2025-26
ग्राम-पिपलिया जाहिरपीर प.ह.न. 35
दिनांक 27/06/2025

::ईश्तहार::

सर्वसाधरण आवेदक श्रीमति कविता संत कुमार शर्मा पत्नि श्री संत कुमार शर्मा निवासी 3 मगन छिवकी चाल शंकर मंदिर बावडी जवल देवीपाड़ा बोरीवाली (पूर्व) मुंबई तालुका बोरीवाली जिला मुम्बई महाराष्ट्र । ने म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 3/1343 दिनांक 22.08.2013 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 561/5 के अंश भाग में से रकबा 900 वर्गफिट भूमि स्थित ग्राम पिपलिया जाहिरपीर प.ह.न. 35 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।

उक्त संबध मे किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 04/07/2025 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27/06/2025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 2401/ अ-6/2025-26
ग्राम-पिपलिया जाहिरपीर प.ह.न. 35
दिनांक 27/06/2025

::ईश्तहार::

सर्वसाधरण आवेदक श्री बबन सिंह आ. श्री श्याम सिंह निवासी 89 इन्द्रा नगर भेल बरखेड़ा भोपाल म.प्र. ने म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 3/1073 दिनांक 06.07.2015 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 563 के अंश भाग में से रकबा 1200 वर्गफिट भूमि स्थित ग्राम पिपलिया जाहिरपीर प.ह.न. 35 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन हैं।

उक्त संबध मे किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 04/07/2025 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27/06/2025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

Code No. - 07608
Phone/Fax No. - 253235
E-Mail : cmobijabar@mpurban.gov.in

कार्यालय नगर परिषद बिजावर जिला-छतरपुर (म०प्र०)

क्रमांक / 582 / न.पं.बिजावर / 2025 दिनांक – 30.06.2025

ई–निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)

लोक निर्माण विभाग में नवीन केन्द्रीकृत पद्धति से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें म0प्र0 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वर्तमान प्रभावशील आई0एस0एस0आर दिनांक 02 अगस्त 2021 के S.O.R. से निविदायें प्रतिशत दरों के आधार पर नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्न निर्माण कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

कार्यों का विवरण

क्र.	टेंडर आईडी	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं एएमडी	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2025_UAD_434069_1/ 02.07.2025	वार्ड क्रमांक 02 मे नाला निर्माण कार्य	06 माह 934741.00	2000.00 9350.00	19.07.2025
2	2025_UAD_434070_1/ 02.07.2025	वार्ड क्रमांक 13, 14 मे नाला निर्माण कार्य	06 माह 934741.00	2000.00 9350.00	19.07.2025
3	2025_UAD_434071_1/ 02.07.2025	वार्ड क्रमांक 10 मे नहर खुदाई का कार्य	06 माह 510384.00	2000.00 5110.00	19.07.2025
4	2025_UAD_434144_1/ 02.07.2025	वार्ड क्रमांक 04, 06 मे PWD ऑफिस के समीप बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	06 माह 170694.00	2000.00 1710.00	19.07.2025

नोट :–

1. निविदा से संबधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर की किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र मे प्रकाशन नही किया जावेगा।

संतोष सैनी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बिजावर
जिला छतरपुर म0प्र0

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1917/ अ-6/2025-26
ग्राम-सेवनिया ओंकारा प.ह.न. 38
दिनांक 27/06/2025

::ईश्तहार::

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती पूजा सूद पत्नी श्री माहिम कुमार सूद निवासी- एफ 16 राधा अपार्टमेंट टीला जमालपुरा भोपाल (म.प्र.) ने म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम- सेवनिया ओंकारा प.ह.न.- 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा नंबर 279/1/2/3 एवं खसरा नंबर 279/3/2/2 रकबा 0.296 हे. में से 800 वर्गफीट भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 1/969 दिनांक 21.07.2014 के माध्यम से क्रय कर उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 4/07/25 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27/06/2025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 2393/ अ-6/2025-26
ग्राम-पिपलिया जाहिरपीर प.ह.न. 35
दिनांक 27/06/2025

::ईश्तहार::

सर्वसाधरण आवेदक श्रीमति संचयिता नन्दी पत्नि श्री नन्दी सौरभ तपन कुमार व अन्य निवासी ए-200 शाहपुरा भोपाल म.प्र. ने म.प्र.भू. रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 12/2843 दिनांक 19.03.2010 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 445/2, 446/2 कुल रकबा 1.61 हे. में से रकबा 0.093 हे. अर्थात 10000 वर्गफिट भूमि स्थित ग्राम पिपलिया जाहिरपीर प.ह.न. 35 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबध मे किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 04/07/2025 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27/06/2025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

प्रारूप - दस

न्यायालय नायब तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल

रा.प्र. 0393/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **07/07/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:- 1. ग्राम का नाम-निशातपुरा, 2. खसरा नंबर-10,20,21,22,26,179/25 3. क्षेत्रफल-1176 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) कोमल सबलानी पत्नि स्व. श्री अनिल सबलानी निवासी-भोपाल।

आज दिनांक 01/07/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

प्रारूप - दस

न्यायालय नायब तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल

रा.प्र. 0278/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **07/07/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:- 1. ग्राम का नाम-निशातपुरा, 2. खसरा नंबर-108/2 3.क्षेत्रफल-1345.75 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) अतीम खान आ. सलीम खान निवासी निशातपुरा भोपाल।

आज दिनांक 01/07/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल